

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/83/2018/10-11/16/ 1233
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/02/2024

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र

केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, लिंक रोड नं. 3

रविशंकर नगर भोपाल-462016

विषय:- जिला रतलाम के अंतर्गत गड़ावदिया तालाब निर्माण हेतु 12.77 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 080/2018-BHO/056 दिनांक 22.01.2019

—0—

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.	शर्त का विवरण	शर्त का पालन
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।
2	Forest land shall be handed over to the User Agency only after the User Agency has got possession on non-forest land, if any, required for the project.	वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा गैर वन भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है।
3	Compensatory afforestation:	
a)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 12.770 ha non-forest land (Survey No, 881, Village-Bibdod, Tehsil-Ratlam, District Ratlam) at the cost of the User Agency, As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा ग्राम बिबडोद, तहसील रतलाम, सर्वे नं0 881 में प्राप्त गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई है। उक्त भूमि के बदले कलेक्टर जिला रतलाम के आदेश पत्र दिनांक 05.05.2022 से ग्राम शेरपूर तह0 पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं0 858 रकबा 80.980 हे0 में से 12.77 हे0 नवीन गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई है। इस प्राप्त नवीन गैर वनभूमि का कब्जा वनमण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा प्राप्त किया गया है। कलेक्टर जिला रतलाम के आदेश पत्र दिनांक 05.05.2022 की छायाप्रति संलग्न है। आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि रुपये 34,42,100/-

		ई-पोर्टल के माध्यम से एड हॉक कैम्पा मंद में एवं राशि रुपये 27,94,900/- पूर्व में दिनांक 06.10.2010 को कैम्पा खाता संख्या 30455520745CB5 में जमा की गई है। (पी.डी. खाता चालान क्रमांक 14716018 की प्रति संलग्न है।) इस प्रकार परियोजना में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु कुल राशि रुपये 62,37,000/- जमा हुई है। वनमण्डलाधिकारी रतलाम ने अवगत कराया है, कि रतलाम जिले की एक अन्य परियोजना उमरन जलाशय (8.933) एवं गड़ावदिया जलाशय (12.77) के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त ग्राम शेरपूर की कुल 21.763 हे० शासकीय भूमि खरमोर अभ्यारण्य सैलाना के अंतर्गत स्थित होने के कारण वनीकरण कार्य न किया जाकर मात्र क्षेत्र घेराव किया जावेगा। उमरन जलाशय (8.933) एवं गड़ावदिया जलाशय (12.77) के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण बिगड़े वनक्षेत्र कक्ष क्रं.-130 रकबा 21.703 हे० में किया जावेगा। जिसकी 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा तैयार की गयी है, वृक्षारोपण योजना मय तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न प्रस्तुत है।
b)	The non- forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department,	गैर वनभूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित की गई है, फार्म पी-II की प्रति संलग्न है।
c)	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. The Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh must report compliance within a period of 6 months from the date of grant of final approval and send a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, to this Office for information and record;	इस शर्त के पालन में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 में संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। उक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

d)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India Toposheet of 1:50,000. The bearing of each corner point and distances between successive points shall be recorded along with GPS reading of Geo-Coordinates (Latitudes & Longitude)	प्रकरण में प्राप्त नवीन गैर वनभूमि को सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर चिह्नित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु टोपोशीट एवं जियो-रिफरेंस मैप संलग्न है।
4	The cost of compensatory afforestation at the prevailing, Wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority, The CA will be maintained for 10 years, The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	सहमत है।
5	NPV:	
a	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 12.77 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	आवेदक संस्था द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रु. 50,01,740/- ई-पोर्टल के माध्यम से एड हॉक कैम्पा मद में एवं राशि रुपये 29,92,280/- पूर्व में दिनांक 06.10.2010 को कैम्पा खाता संख्या 30455520745CB5 में जमा की गई है। (पी.डी. खाता चालान क्रमांक 29529946 की प्रति संलग्न है।) इस प्रकार परियोजना में एन.पी.व्ही. की कुल राशि रुपये 79,94,020/- जमा हुई है।
b	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble-supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र संलग्न है।
6	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e.portal.	सभी भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से किये गये हैं।
7	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only and felling of trees shall be carried out by State Forest Department. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project.	सहमत है।
8	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	इस परियोजना निर्माण में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

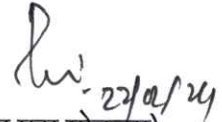
9	User agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	आवेदक संस्थान सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।
10	The User Agency shall provide water to the State Forest Department for the forestry related projects at the rate fixed by the Govt. of Madhya Pradesh.	आवेदक संस्थान जल की आवश्यकता होने पर वनविभाग को जल देने हेतु सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।
11	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Govt. of India.	आवेदक संस्थान सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।
12	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदक संस्थान सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।
13	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	आवेदक संस्थान सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।
14	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost.	आवेदक संस्थान सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।
15	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage forest flora and fauna,	आवेदक संस्थान सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।
16	Siltation of the reservoir and canal shall be kept under check and desiltation of reservoir shall be carried out regularly.	सहमत है।
17	Muck disposal, if required, shall be taken up as per the scheme approved by the Forest Department.	आवेदक संस्थान सहमत है।
18	Soil conservation measures, if required, shall be taken up by the user agency.	आवेदक संस्थान सहमत है।
19	Proposed labour camps outside the forest area are to be dismantled and removed. The labourers shall be sent back immediately after the completion of the work.	आवेदक संस्थान सहमत है।
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदक संस्थान सहमत है।
21	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the Wildlife.	आवेदक संस्थान सहमत है।
22	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	आवेदक संस्थान सहमत है।
23	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदक संस्थान सहमत है।
24	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक संस्थान सहमत है।

25	Relevant directions contained in various notifications issued by the Govt. of India under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and Environment (Protection) Rules, 1986 made thereunder and amended from time to time regarding use of fly ash shall be fully complied with.	आवेदक संस्थान सहमत है।
26	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	आवेदक संस्थान सहमत है।
27	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat home for the avifauna, whose nesting tree are to be cleared in this project, Bird's nests artificially made out of eco- friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	आवेदक संस्थान सहमत है।
28	The User Agency shall submit compliance report as on 1st January to the Nodal Officer of the State.	आवेदक संस्थान सहमत है।
29	The State Government shall monitor compliance of the conditions of the Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 1st July of every year.	आवेदक संस्थान सहमत है।
30	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of the provisions of all Acts, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	आवेदक संस्थान सहमत है।
31	The compliance report shall be uploaded on e.portal (http://forestsclearance.nic.in/).	आवेदक विभाग द्वारा शर्तों का पालन प्रतिवेदन आनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

अतः प्रकरण में अनुरोध है कि भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



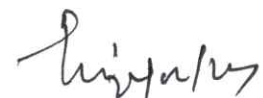
(एच.एस.मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 23/02/2024

पृ. क्रमांक/एफ-3/83/2018/10-11/16/1234
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रतलाम, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

गडावदिया जलाशय योजना अन्तर्गत प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन

S.No.	Terms & Condition	Reply
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम से स्वीकार है। (बयान पत्र संलग्न है)
2.	Forest land shall be handed over to the User Agency only after the User Agency has possession on non-forest land, if any, required for the project.	वनमण्डल रतलाम द्वारा गैर वन भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है किन्तु तत्कालिन वन परिक्षेत्राधिकारी रतलाम द्वारा वृक्षारोपण उपयुक्त भूमि नहीं होने से आरोप ज्ञापन पत्र मुख्य वन संरक्षक उज्जैन द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु नवीन भूमि आवंटन कराने कार्यालयीन पत्र/क्र. /मा.चि./2021/1096 दिनांक 25-03-2021 से कलेक्टर जिला रतलाम को लेख किया गया है।
3.	Compensatory afforestation :- (a) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 12.770 ha non-forest land (Survey No. 881, Village-Bibdod, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. (b) The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department. (c) The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. The Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980 Government of MADhya Pradesh must report compliance within a period of 6 months from the date of grant of final approval and send a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, to this Office for information and record. (D) The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a survey of India Toposheet of 1:50.000. The bearing of each corner point and distances between successive points shall be recorded along with GPS reading of geo-Coordinates (Latitudes & Longitudes.)	(a) वनमण्डल रतलाम द्वारा निर्देशों का पालन किया जावेगा। (b) वन विभाग के नाम से हस्तांतरित की गई है। जो वर्तमान में जांच उपरान्त वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई। (c) वनमण्डल द्वारा 10 वर्षिय प्रतिपूरक वनीकरण योजना तैयार की गई है। किन्तु प्रतिपूरक वनीकरण भूमि उपयुक्त नहीं होने से नवीन उपयुक्त भूमि का चयन कर वृक्षारोपण योजना तैयार की जावेगी। (D) हस्तांतरित की गई गैर वन भूमि सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोसीट स्केल 1:50.000 पर दर्शाया गया है।
4.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in	प्राप्त गैर वन भूमि में योजनानुसार सीमांकन कर मुनारा निर्माण किया गया है।

	years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
5.	NPV:	
(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 12.77 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 18.03.2008, 24.04.2008, & 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No.5/1/1998-FC (Pt. II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 05-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	कार्यालयीन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम द्वारा वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि रुपये 7994020/- जमा कर दी गई है। जिसका टेबुलर फार्म संलग्न है।
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	कार्यालयीन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम द्वारा भाविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा एन.पी.वी. की राशि संशोधित की जाती है तो अतिरिक्त (अन्तर) राशि की मांग की जावेगी आवेदक विभाग को मान्य है। (वचन पत्र संलग्न है)
6.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e.portal	आवेदक संस्था द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेंट चालान से किया गया है। भुगतान जिसका विवरण टेबुलर फार्म में पृथक से किया गया है।
7.	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only and felling of trees shall be carried out by State Forest Department. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project.	वनमण्डल द्वारा FRL-4 मीटर से निचे के वृक्ष का विदोहन किया जावेगा आवेदक विभाग इससे सहमत है।
8.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act., 1986, if required.	इस परियोजना में आवेदक विभाग को पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
9.	User agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	आवेदक विभाग को स्वीकार है। (वचन पत्र संलग्न है)
10.	The User Agency shall provide water to the State Forest Department for the forestry related projects at the rate fixed by the Govt. of Madhya Pradesh.	आवेदक संस्था वन विभाग को आवश्यकता होने पर जल की आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध है। (वचन पत्र संलग्न है)
11.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Govt. of India.	आवेदक विभाग को स्वीकर है। (वचन पत्र संलग्न है)
12.	No labour camp shall be established on the forest land	आवेदक विभाग को स्वीकार है। निर्माण कार्य के समय वन क्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये। (वचन पत्र संलग्न है)
13.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	आवेदक संस्था को स्वीकार है। वन क्षेत्र से जलाउ लकड़ी का उपयोग नहीं किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)

14.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost.	इस शर्त के पालन में प्रस्तावित वन का सीमांकन / चिह्नीत करने पर कार्य किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
15.	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage forest flora and fauna.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था / ठेकेदार / मजदूरों द्वारा वन्य जीवों के रहवास एवं वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा इससे विभाग सहमत है एवं वचन पत्र संलग्न है।
16.	Siltation of the reservoir and canal shall be kept under check and desiltation of reservoir shall be carried out regularly.	इस शर्त के पालन में जलाशय एवं नहर की गाद निस्तारण की जांच और सुरक्षा के तहत रखा जावेगा और नियमित रूप से किया जावेगा इसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
17.	Muck disposal, if required, shall be taken up as per the scheme approved by the Forest Department.	इस शर्त के पालन में जहां आवश्यक हो गन्दगी का निपटान वन विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जावेगा। इसके लिए जल संसंधान विभाग वचनबद्ध है।
18.	Soil conservation measures, if required, shall be taken up by the user agency.	इस शर्त के पालन में यदि आवश्यक हो तो भूमि संरक्षण उपायों को उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा उठाया जायेगा जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
19.	Proposed labour camps outside the forest area are to be dismantled and removed. The labourers shall be sent back immediately after the completion of the work.	इस शर्त के पालन में प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य पूरा होने के पश्चात वन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित श्रम शिविरों को नष्ट कर दिया जावेगा एवं उक्त शिविरों को वापस भेज दिया जावेगा इससे विभाग वचनबद्ध है।
20.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के पालन में परियोजना कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र में आई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जावेगा जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
21.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the Wildlife.	इस शर्त के पालन में प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के कारण वन्य जीवन के लिए कोई क्षति न हो इसके लिये विभाग वचनबद्ध है।
22.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के पालन में अनुमोदन के तहत परिवर्तन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना जीवन के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो के साथ क्षरण होगा। इसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
23.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के पालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव के निर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा इसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
24.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के पालन में भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन न करने का प्रस्ताव किया गया है इसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
25.	Relevant directions contained in various notifications issued by the Govt. of India under the provisions of the Environment (Protection) Act., 1986 and Environment (Protection) Rules, 1986 made there under and amended from time to time regarding use of fly ash shall be fully complied with.	इस शर्त के पालन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी उपधिसूचनाओं के प्रासंगिक निर्देश सामग्री एवं 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 इसके तहत बनाये गये और समय समय पर प्लाई एश के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी तरह पालन किया जावेगा इसके लिए विभाग वचनबद्ध है।

26.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस शर्त के पालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय वनों और वन्य जीवों के विकास पर समय समय पर संरक्षण के हित में समय समय निर्णय ले सकता है जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
27.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting tree are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	इस शर्त के पालन में राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के लिए उपयोगकर्ता अभिकरण अपने प्राणीजात के लिए वैकल्पिक स्थान बनायेगी, पक्षीओं द्वारा वृक्षों पर बनाये गये घोंसले जो इस परियोजना से प्रभावित होंगे जो की पर्यावरण की अनुकूल सामग्री से बना है। क्षेत्र में उपयोग किया जावेगा। वन क्षेत्र और मानव बस्ती सहित वन क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र को परियोजना के लिए भेजा जा सकता है इसके लिए विभाग वचनबद्ध है।
28.	The User Agency shall submit compliance report as on 1 st January to the Nodal Officer of the state.	इस शर्त के पालन में प्रयोक्ता एजेंसी 1 जनवरी को राज्य के नोडल अधिकारी के रूप में अनुवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे विभाग सहमत है।
29.	The State Government shall monitor compliance of the conditions of the Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 1 st July of every year.	इस शर्त के पालन में राज्य सरकार वन क्लीयरेंस की स्थितियों के अनुपालन की निगरानी करेगी और इस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट को प्रत्येक साल की 1 जुलाई को प्रस्तुत करेगी इसमें विभाग सहमत है।
30.	The User Agency and State Government shall ensure compliance of the provisions of All Acts, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	इस शर्त के पालन में प्रयोक्ता एजेंसी और राज्य सरकार सभी अधिनियमों, नियमों के विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन असुनिश्चित करेगी और परियोजना के लिए लागू होने के समय के लिए दिशा निर्देश देगी। इससे विभाग सहमत है।
31.	The compliance report shall be uploaded on e.portal (http://forestsclarance.nic.in/)	इस शर्त के पालन में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी इससे विभाग सहमत है।


वनमण्डलाधिकारी,
रतलाम

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

Proforma for Submission of Details pertaining to Transfer of Funds Received from the User Agency in Ad-Hoc CAMPA

1	Name Of Regional Officer	Bhopal, Madhya Pradesh					
2	State/district/Forest Division to Which the Proposal relates	Division Ratlam (T)					
3	Name Of User Agency, Nature Of Proposal	M/s Executive Engineer, WRD, Ratlam, Gadawdiya Tank					
4	Extent of forest area involved	12.77 Hac					
5	Whether original or extension	original					
6	If extension of lease, pl clarify if proposal involves additional forest area.	-					
7	Date of 1 st stage clearance	22-01-2019					
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz,:	-					
	(a) Compensatory Afforestation :	6237000/-					
	(b) Additional CA	-					
	(c) Penal CA	-					
	(d) Catchment Area Treatment	-					
	(e) Wildlife Management Plan	-					
	(f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	-					
	(g) Net Present Value	7994020/-					
	(h) Any Other Charges (औषधीय रोपण राशि)	-					
9	Details of Bank (Bank Draft No., Date & Amount), head-wise against items indicated in paragraph 8 above	SN	Head	Details of Bank Draft & Date	Account No.		
		1	NPV	2992280/06-10-2010	Head of campa account no.		
		2	CA	2794900/06-10-2010	30455520745 CB5		
10	Whether deposited by RTGS if so, the particulars & date of remittance	SN	Head	Amount	UTR No. /	Date	Bank Name
		1	CA	3442100	SBIN321022197775	22-01-21	Corporation Bank, Lodhi
		2	NPV	5001740	SBIN321022197775	22-01-21	Complex New Delhi
			TOTAL	8443840			
11	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited with date of deposition	SN	Amount	Name Of Bank	Transfer Date		
		1	3442100.00	Corporation Bank, Lodhi Complex New Delhi	22-01-2021		
		2	5001740.00	Corporation Bank, Lodhi Complex New Delhi	22-01-2021		
12	Any other remarks	-					

Divisional Forest Officer

(Signature)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

क्रमांक / कार्य/गढ़ावदिया ता./वनभूमि/2022-23

रतलाम, दिनांक-

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
(सामान्य) वन मण्डल रतलाम

विषय- रतलाम जिले के अंतर्गत गढ़ावदिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु 12.770 हैक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय की गढ़ावदिया जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि 12.770 हैक्टर वन भूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र से जारी की गई है । सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है-

S.No.	Terms & Condition	Reply
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के पालन में वचन पत्र (Annexure-1) संलग्न है ।
2.	Forest land shall be handed over to the User Agency only after the User Agency has possession on non-forest land, if any, required for the project.	इस शर्त के पालन में जल संसाधन विभाग सहमत है, न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक-0020/अ-20(3)2021-22, आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक/1410/रीडर-1/22 रतलाम दिनांक 05.05.2022 के तहत ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.980 हैक्टर में से 12.770 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई, जिसके परिपालन में दिनांक-06.09.2022 को वन विभाग को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है । कब्जा रसीद (Annexure-2&3) संलग्न है ।
3.	Compensatory afforestation :-	
a)	Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 12.770 Ha. non forest land (survey no. 881, village Bibdodh, Tehsil - Ratlam, Distt. Ratlam) at the cost of User Agency. as far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	वनमण्डलाधिकारी जिला रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रमांक-मा.चि./2021/1097/रतलाम, दिनांक 25.03.2021 द्वारा पूर्व में ग्राम बिबडोद के सर्वे नम्बर 881 रकबा 98.950 हैक्टर में से 21.703 हैक्टर आवंटित गैर वन भूमि अनुपयुक्त होने से उसके एवज में ग्राम शेरपुर में गैर वन भूमि की मांग की गई । न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक-0020/अ-20(3)2021-22, आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक/1410/रीडर-1/22 रतलाम दिनांक 05.05.2022 के तहत ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.980 हैक्टर में से 12.770 हैक्टर भूमि, वन विभाग को हस्तांतरित की गई ।

16-माई
2
19/11

gadavdiya forest 2

S.No.	Terms & Condition	Reply
b)	The Non forest land shall be transferred and mutated in favor of Forest Department.	इस शर्त के पालन में न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक-0020/अ-20(3)2021-22, आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक/1410/रीडर-1/22 रतलाम दिनांक 05.05.2022 के तहत ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.980 हैक्टर में से 12.770 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई। यह म्यूटेशन रिपोर्ट (Annexure-4) संलग्न हैं।
c)	The compensatory afforestation scheme shall be submitted for 10 years.	यह कार्ययोजना वन विभाग द्वारा तैयार की गई है।
d)	The non forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as deserved forest under section-4 or protected forest under under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the State Forest Act, The Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh must report compliance with in a period of 06 months from the date of grant of final approval and send a copy of the original notification declaring the non forest land under section-04 or section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under relevant section of the State forest Act as the case may be, to this office for information and record;	उक्त बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
e)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a survey of India Toposheet of 1:50000. The bearing of each corner point and distance between successive points shall be recorded along with GPS reading of Geo-Coordinates (Latitudes & Longitudes)	हस्तान्तरित की गई गैर वन भूमि सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट स्केल 1:50000 पर दर्शाया गया है। (Annexure-5 & 6) प्रेषित है।
4.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and rection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के पालन में विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-7) संलग्न हैं।
5.	NPV:	
(a)	The Stage Government shall charge the Net Present Value (NPV) fo the 12.77 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2008, 24.04.2008, & 09.05.2008 in IA No. 566 inWP (C) No. 202/1995 and as per the	इस शर्त के पालन में वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार कुल राशि 84,43,840/- का भुगतान ई-पद्धति के माध्यम से ई-चालान तैयार कर ई-चेक से राशि वन विभाग के CAMPA मद में जमा की जा चुकी है। चालान एवं ऑनलाइन रिपोर्ट (Annexure-8) संलग्न प्रेषित हैं।

	guidelines issued by the Ministry vide letter No.5 /1/1998-FC (Pt. II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 05-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-9) संलग्न हैं।
6.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA/ fund only through e.portal	वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार कुल राशि 84,43,840 /-(CAMP) मद में जमा की गई है। चालान एवं ऑनलाईन रिपोर्ट (Annexure-10) संलग्न हैं।
7.	All felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only and felling of trees shall be carried out by State Forest Department. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project.	इस शर्त के पालन हेतु जल संसाधन विभाग सहमत हैं।
8.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act., 1986, if required.	इस शर्त के पालन में इस योजना में इसकी आवश्यकता नहीं है।
9.	User agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	इस शर्त के पालन में विभाग सहमत हैं। इस आशय का वचन पत्र (Annexure-10) संलग्न हैं।
10.	The User Agency shall provide water to the State Forest Department for the forestry related projects at the rate fixed by the Govt. of Madhya Pradesh.	इस शर्त हेतु विभाग सहमत हैं।
11.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
12.	No labour camp shall be established on the forest land	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-11) संलग्न हैं।
13.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के पालन में संबंधित ठेकेदार/मजदूरों के द्वारा वन विभाग की जलाऊ लकड़ी का उपयोग नहीं किया जायेगा।
14.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-12) संलग्न हैं।

S.No.	Terms & Condition	Reply
15.	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage forest flora and fauna.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-13) संलग्न हैं।
16.	Siltation of the reservoir and canal shall be kept under check and desiltation of reservoir shall be carried out regularly.	इस शर्त के पालन में जलाशय एवं नहर की गाद निस्तारण की सतत निगरानी रखी जावेगी। इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
17.	Muck disposal, if required, shall be taken up as per the scheme approved by the Forest Department.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
18.	Soil conservation measures, if required, shall be taken up by the user agency.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
19.	Proposed labour camps outside the forest area are to be dismantled and removed. The labourers shall be sent back immediately after the completion of the work.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं। वचन पत्र (Annexure-14) संलग्न हैं।
20.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
21.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the Wildlife.	इस शर्त के पालन में विभाग सहमत हैं। वचन पत्र (Annexure-15) संलग्न हैं।
22.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
23.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
24.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-16) संलग्न हैं।
25.	Relevant directions contained in various notifications issued by the Govt. of India under the provisions of the Environment (Protection) Act., 1986 and Environment (Protection) Rules, 1986 made thereunder and amended from time to time regarding use of fly ash shall be fully complied with.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं। वचन पत्र (Annexure-17) संलग्न हैं।

S.No.	Terms & Condition	Reply
26.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
27.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting tree are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
28.	The User Agency shall submit compliance report as on 1 st January to the Nodal Officer of the state.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
29.	The State Government shall monitor compliance of the conditions of the Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 1 st July of every year.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
30.	The User Agency and State Government shall ensure compliance of the provisions of All Acts, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
31.	The compliance report shall be uploaded on e.portal (http://forestsclarance.nic.in/).	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।

हस्ता.

(पी.के.खरत)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग रतलाम

पृष्ठांकन क्रमांक 2940 / कार्य / गढ़ावदिया ता. / वनभूमि / 2022-23

रतलाम, दिनांक-15/12/22

प्रतिलिपि : -

✓अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध।

संलग्न : - पालन प्रतिवेदन (Annexure 01 से 17 सहित)।

(पी.के.खरत)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email:ee wrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र शर्त क्रमांक 1

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम
में परिवर्तित 12.770 हेक्टर वन भूमि की वैधानिक वस्तुस्थिति
यथावत रखी जावेगी ।



(पी.क.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

न्यायालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नजूल भूमि निर्वर्तन
समिति जिला रतलाम (म0प्र0)

RCMS प्रकरणक्रमांक 0020/अ-20(3)/2021-22

1. प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग
भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन विभाग रतलाम जिला रतलाम
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग म0प्र0भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध
म0प्र0 शासन

.....अनावेदक

::आदेश::

(पारित आदेश दिनांक 5/5/2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र के पालन में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रतलाम म0प्र0द्वारा नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के तहत निर्धारित प्रारूप-एक में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि 12.770 हे0 तालाब प्रस्तावित गई है। उक्त परियोजना में उपयोग में आई भूमि के एवज में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे0 मद का0का0 घासबीड में से 12.770 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रकरण पंजीबद्ध कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित), की कंडिका-13(2), 13(3), 13(4) एवं 142 के तहत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रारूप दो में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा ने प्रकरण में तहसीलदार पिपलौदा से जांच करवाई जाकर प्रतिवेदन अनुशंसा के आदेशिका दिनांक 22.12.2021 को प्रेषित किया गया। आदेशिका अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। भूमि आवंटन के संबंध में सर्वसंबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में अभिमत प्राप्त नहीं नजूल निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका-48 (2अ) के अनुसार अभिमत/परांमर्श प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। सचिव, ग्राम पंचायत शेरपूर, के द्वारा दिनांक 25/03/2022 में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे0 मद का0का0 घासबीड में से 12.770 हे0 भूमि वन विभाग रतलाम को हस्तांतरित किये जाने में अनापत्ति होने का लेख है; एवं हस्तांतरित की जाने वाली भूमि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-13(1) के तहत ग्राम विकास योजना 2021 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर स्थित होने से भूमि का निर्धारण प्रस्तावित नहीं किया है। राजस्व निरीक्षक/पटवारी के द्वारा प्रारूप-5 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि किसी अन्य प्रयोजन व आरक्षित/सुरक्षित नहीं है। भूमि वाजिब-उल-अर्ज में या निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है, भूमि शमशान/कब्रस्तान/मरघट इत्यादि की नहीं है। भूमि पर रास्ता, सड़क, पगडंडी

निरंतर-2-पर

मार्ग नहीं हैं, भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में नहीं हैं। प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात् भी चरागाह का रकबा 2 प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० म० का० का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग रतलाम को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है।

3- प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जावरा से प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी नजूल रतलाम के द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि 12.770 हे० तालाब प्रस्तावित गई है। वन विभाग के द्वारा उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रदान करते हुये उक्त भूमि के एवज में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० म० का० का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करते हुये पूर्व में उक्त परियोजना हेतु वन विभाग को कलेक्टर रतलाम के प्रकरण क्रमांक 30/अ-20(3)/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03/02/2018 से आवंटित ग्राम बिबडौद की शासकीय भूमि सर्वे नं. 881 रकबा 98.950 हे० में से 21.703 हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयोगी होने से उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये ग्राम शेरपूर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० म० का० का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) म० प्र० भोपाल को म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के अध्याय-2 के प्रावधान अनुसार हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।

4- म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश -2020 की कंडिका-8(3) के अंतर्गत गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग म० प्र० भोपाल हस्तांतरण की स्वीकृति कंडिका-14 के अनुसार समिति द्वारा कार्रवाई विवरण दिनांक 30/03/2022 की मूल प्रति प्रकरण के संलग्न हैं।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं प्रभारी अधिकारी नजूल के अभिमत के आधार पर जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि 12.770 हे० तालाब प्रस्तावित गई है। वन विभाग को द्वारा पूर्व में उक्त परियोजना हेतु कलेक्टर रतलाम के प्रकरण क्रमांक 30/अ-20 (3)/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03/02/2018 से आवंटित ग्राम बिबडौद की शासकीय भूमि सर्वे नं. 881 रकबा 98.950 हे० में से 21.703 हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयोगी होने से उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये गढावदिया तालाब परियोजना में वन विभाग की भूमि उपयोग में से उक्त एवज में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.986 हे० म० का० का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि 8.993 हे० तालाब प्रस्तावित गई है। वन विभाग को पूर्व में उक्त परियोजना हेतु न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 30/अ-20(3)/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03/02/2018 से आवंटित ग्राम बिबडौद की शासकीय भूमि सर्वे नं. 881 रकबा 98.950 हे० में से 21.703 हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयोगी होने से आदेश दिनांक 03/02/2018 को निरस्त करते हुये गढावदिया तालाब परियोजना के एवज में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० मद का०का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के अध्याय-2 की कंडिका (16) के तहत म०प्र० शासन द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि जिसकी सीमाएं आबद्ध रेखांक चिह्नित की गई हैं, जिसे नक्शे में लालरूखाही से अंकित किया गया है।

1. राज्य शासन के किसी विभाग को कंडिका 17 के अंतर्गत हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण नहीं होगा।
2. भूमि का उपयोग कंडिका 18(1) के अंतर्गत 03 वर्ष के भीतर नहीं करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी।
3. भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरण की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जावेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक / / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

(कुमार पुरुषोत्तम)

एवं अध्यक्ष जिला न्यायालय (निर्वर्तन समिति)
जिला रतलाम म.प्र.

पृ०क्रमांक / 14/0/रीडर-1/22
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक 05/05/2022

1. प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग म०प्र० भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग उज्जैन।
5. वन मंडलाधिकारी रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जाबरा।
7. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. नजूल अधिकारी, रतलाम।
9. तहसीलदार, पिपलौदा की ओर आदेश की प्रतिलिपि भेजकर लेख हैं कि, आदेशानुसार आवंटित की गई भूमि का प्रत्यक्ष वनमंडलाधिकारी जिला रतलाम द्वारा प्राधिकृत के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर साँपे तथा शासकीय भू-अभिलेख खसरा नक्शे में आदेशानुसार अमल दरामद किया जाकर, खसरा पांच शाला नक्शा में जिसमें आवंटित की गई भूमि को लालरूखाही से दर्शाये जाकर कब्जा रसीद अर्थात् प्रकरण वापस लौटावें।

एवं अध्यक्ष जिला न्यायालय (निर्वर्तन समिति)
जिला रतलाम म.प्र.

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 पिपलौदा तहसिलपिपलौदा

क्रमांक / ८८ / ७४४/2022

पिपलौदा, दिनांक:- ०८/ 09 / 2022

प्रति,

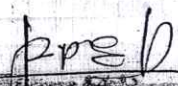
श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील पिपलौदा

विषय:- ग्राम शेरपुर स्थित शासकीय भूमि वन विभाग को आवंटन उपरांत सीमांकन
कर कब्जा सोपने बाबत
संदर्भ:- न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1409/री-01/22
रतलाम दिनांक 05/05/2022।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि नजुल
भूमि निवृत्तन समिति जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 0020 अ-20 (3) / 2021-22 पारित
आदेश-दिनांक 05/05/2022 के पालन में ग्राम शेरपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.
980 हैक्टर भूमि में से रकबा 12340 हैक्टर भूमि ग्राम गड़ावदीया तालाब परियोजना के तहत
ग्राम गड़ावदीया तहसील रावटी में वन विभाग की प्रभावित भूमि के एवज में आवंटित किये
जाने से आवंटित भूमि का सीमांकन वन परिक्षेत्र सहायक-आम्बा व अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग सैलाना की उपस्थिती में किया जाकर आवंटित भूमि का कब्जा
वन विभाग को सौंपा गया।

रिपोर्ट श्रीमान की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


राजस्व निरीक्षक
वृत्त-02 पिपलौदा
तहसिलपिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.)

06/09/2012

३०१५४
॥ ३॥ ३॥

23, 32, 22, 13

79, 84, 84, 41

काल: दश पेचो के संयगाता

सही ठीक किया जा रही है। f-250
अभिषेक 2 प्रमोद
06/09/2022

06.09.2022

24/11/2019
DZMS HIGER 3

6/9/2022

અનુ વિમાગીય સીધાવારી
જાત હંસાપ્પન અપસંભાગ
સેલાના વિતલામ.

सुरपंच
ग्राम पंचायत, शेरपुर

1200
पञ्च
तहसील

सं. ५५५ नरेश

कल्याण करी

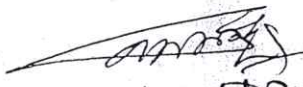
रयान डेस्क

दिनांक :- 06/09/2022

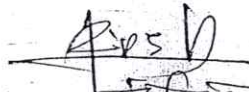
न्यायमय प्रकरण नं० 0020/अ-20 (3)/2021,22
आदेश दिनांक 05/05/2022 के परिणामन में गांव
गाढावदिया तालाब परियोजना के तहत गांव गाढावदिया
तहसील रावरी जिला वन विभाग की कुमी 12.770 हेक्टा
तालाब प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना में उपयोग
में आई कुमी के एका में गांव डेस्क की शासकीय
कुमी लगे क्र. 858 एका 80.980 एकर जाईयत
को.को. पासबीड में से 12.770 हे. कुमी वन
विभाग की ओर से उपस्थित श्री नानुराज जी व्यास
वन परिक्षेन सहायक आग्रा को आज दिनांक 06/09/2022
को फौजे पर कल्याण प्रदान किया गया।

अपरोक्षतुलार कुमी को
कल्याण प्रदान किया।

अपरोक्षतुलार कुमी को
कल्याण प्रदान किया गया।


अनंद आरवा

06.09.2022 अग्रय अग्रय


अनंद आरवा
विपक्षी


अनंद आरवा



मध्य प्रदेश कानूनरीकन भू-अभिलेख
खुसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11039874204

ग्राम, ेपुर		पटवारी हक्का: ेपुर		तहसील: पिपलोदा		जिला: रतलाम		वर्ष: 2022-2023			
भूमि के पान की युक्तिक औईडी	भूमि के पान का प्रकार (सर्वेक्षण सत्यापक/सत्यापक)	पू-सत्यापक (सर्वेक्षण की दसा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. पू-राजस्व/पू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंग	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी बख्त (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. दुरुिबधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	भूमि पर विवरण तथा प्रभार 1. बंधक 2. दुरुिबधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अंगीन फसल क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अंगीन फसल क्षेत्रफल	1. भूमि के सिचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर सरचना/वृक्ष 3. अन्य अप्रियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियाँ हैं सुधार के अंदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154156 3345	858/3 (S)		12.7700 हेक्टर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0021/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 05/05/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित श्रीमान तहसीलदार महो. के पत्र क्र 288/री 1/2016आ.लिनांक 15.1.16अनुसार सर्वे न 858में से रकबा71.63हे.भूमि खरमोर अभ्यारण हेतु आरक्षित कि गई है खरमोर अभ्यारण हेतु आरक्षित कि गई है ा

न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0021/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 05/05/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।
श्रीमान तहसीलदार महो. के पत्र क्र 288/सी 1/2016आ.दिनांक 15.1.16अनुसार सर्वे न 858में से रकबा 71.63है भूमि खुसरा अभ्यास हेतु आरक्षित कि गई है खुसरा अभ्यास हेतु आरक्षित कि गई है ा



मध्य प्रदेश कायदा नुसार भू-अभिलेख
खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी
प्रमाण सात (नियम 8 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम,

CLR No. :11039874311

ग्राम: रोहुर		पटवारी हस्ता: रोहुर		तहसील: पिपलीदा		जिला: रायसेन		वर्ष: 2022-2023						
खाना खाना	1. खतौदार (खतौदारी) का नाम उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खतौ नं हिस्सा	खतौदार (खतौदारी) का आईडी खाना (संयुक्त खतौ की देखा न प्रत्येक खतौदार का उसके नाम सहित आईडी खाना)	1. सर्वेक्षण सत्यापक भू- सर्वेक्षण सत्यापक के साथ इसका/इसके सत्यापक सहित (S) इसके प्रति हो तथा P पर इसके पुनर्निर्माण के 2. सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक) कंप्यूटर में	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण रा (क्षेत्रों में)	मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन फैट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मात्रा (क्षेत्रों में)	बकाया यदि कोई हो (क्षेत्रों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (क्षेत्रों में)	अथ तत्पश्चात् मात्रा (क्षेत्रों में)	पुनर्निर्माण के कारण प्राप्त होने (क्षेत्रों में) 1. पुनर्निर्माण की विधि दिया	देय राशि	अधि युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन सम्पूर्ण धारा शासकीय संस्था			858/3 (S) 12.7700 हेक्टेयर	कृषि	0.00	कुल क्षेत्र 12.7700 हेक्टेयर	कुल भू-राजस्व पंचायत उपकर शाला उपकर वाणिज्य कर प्रीमियम शास्ति योग	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00		0.00	
			कुल क्षेत्र 12.7700 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00									

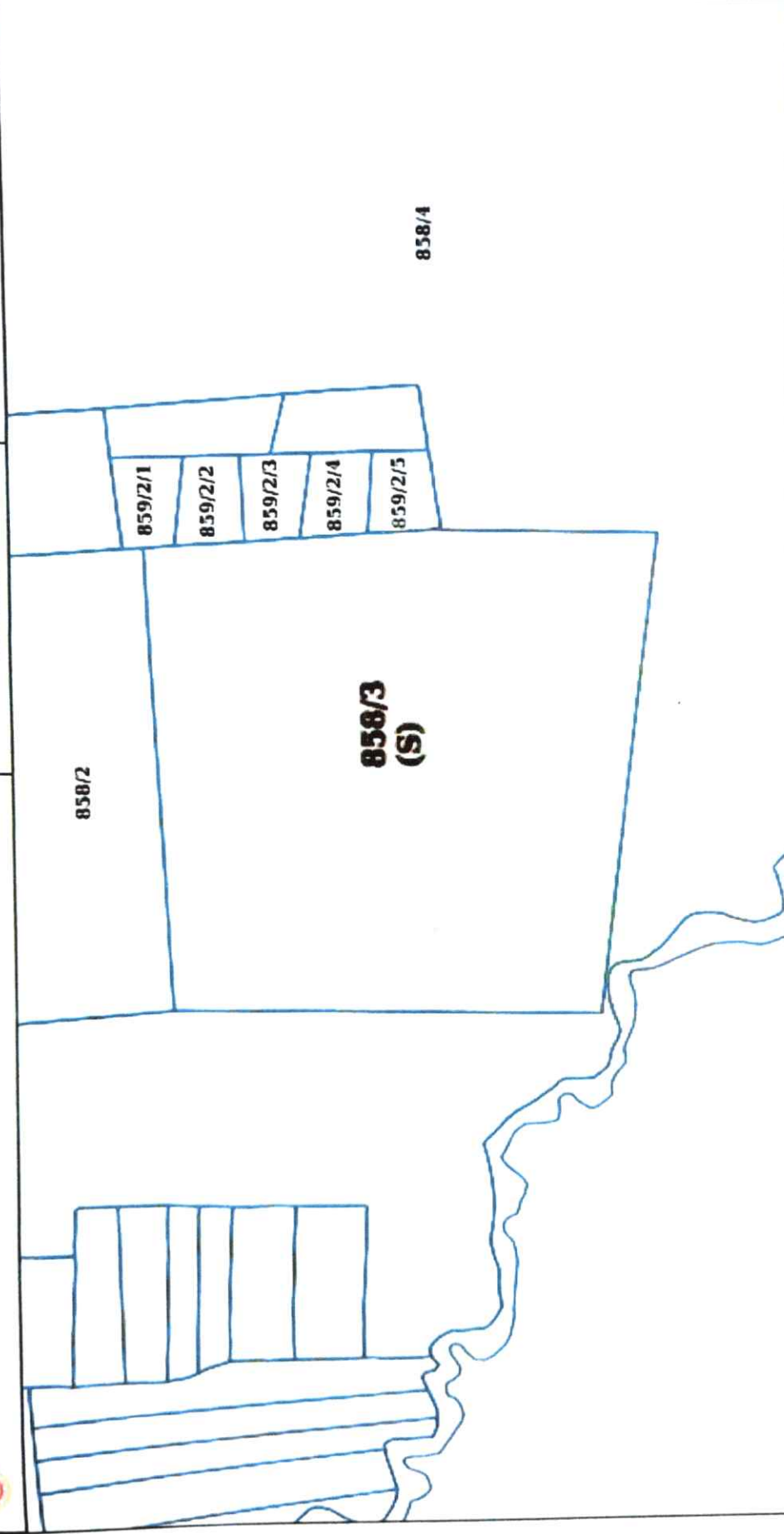


मध्यप्रदेश कम्प्यूटीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर.नं. : 11039874354

वर्ष: 2022-23

दिनांक : 30-09-2022 13:27:33



दस्तावेज सं.:	ग्राम: शेरपुर	हल्का: शेरपुर	तहसील: पिपलोदा	जिला: रतनाम
सर्वेक्षण सं.: 858/3(S)	क्षेत्रफल: 12.7700(हेक्ट.)	भू.रा.शा: 0	मापांक 1:4000 एच आकार A4	0 20 40 60 80 100 120 160m
भूस्वामी: (शासकीय) कन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था				
Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1 Date: 2022.09.30 13:35:11 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy CLR No. : 11039874354 (हस्ताक्षर)				

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mpbhulekh.gov.in>, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि रक्बा 12.770 हेक्टर के सिद्धांतिक स्वीकृति आदेश की शर्त क्रमांक 04 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रतलाम म.प्र.

E-mail- eewrdrtm@rediffmail.com Phone No. 07412-267540

पत्र क्रमांक: 271 / व.ले.लि. / 2021

रतलाम, दिनांक: 27.01.2021

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल
सागौद रोड रतलाम (म.प्र.)

विषय:- जिला रतलाम के अन्तर्गत गढ़ावदिया तालाब निर्माण हेतु 12.770 हेक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2019 / 1475 रतलाम दिनांक 04.05.2019

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भ में लेख है कि रतलाम जिले की गढ़ावदिया तालाब के निर्माण में अ. रही 12.770 हेक्टर वनभूमि की शेष राशि रुपये 84,43,840/- का ई-चालान तैयार कर ई-चेक्स क्रमांक 522230 दिनांक 22.01.2021 रुपये 84,43,840/- जमा की गई है । जमा राशि के चालान की प्रति संलग्न भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि गढ़ावदिया तालाब की (IInd Stage) की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु आपके स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(एच.के.मालवीय)
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

रतलाम, दिनांक:-

पृष्ठां. क्रमांक: / व.ले.लि. / 2021

प्रतिलिपि

- 1- अपर प्रधान वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक एवं पट्टेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ ।

(एच.के.मालवीय)
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2021

Agency Name.	Madhya Pradesh Water Resources Department
Application No.	5732637573
MoEF/SG File No.	6-MPC080/2018-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Madhya Pradesh Water Resources Division Raipur
Amount(In Rs)	8443840/-

Amount In Words : Eighty-Four Lakh Forty-Three Thousand Eight Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150765732637573 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2021

Agency Name.	Madhya Pradesh Water Resources Department
Application No.	5732637573
MoEF/SG File No.	6-MPC080/2018-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Madhya Pradesh Water Resources Division Raipur
Amount(In Rs)	8443840/-

Amount In Words : Eighty-Four Lakh Forty-Three Thousand Eight Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150765732637573 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in



rediffmail

Mailbox of eswrdtm

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@ncl.in on Thu, 21 Jan 2021 13:13:63

To: eswrdtm@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@ncl.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Proposal Detail

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Proposal No. | :FP/MP/IRRI/32637/2018 |
| 2. Proposal Name | :Garawadiya Tank Project |
| 3. Category of the Proposal | :Irrigation |
| 4. Date of In-principle | :20/03/2018 |
| 5. Name of the Applicant with Contact Details | |

Name	:Madhya Pradesh Water Resources Department
Mobile No.	:9926059609
Email ID	:eswrdtm@rediffmail.com
State	:Madhya Pradesh
District	:Rajlam
Pincode	:457001

Funds Demand Details

- | | |
|--|----------------|
| 1. Compensatory Afforestation | :Rs. 3442100/- |
| 2. Additional Compensatory Afforestation | :Rs. 0/- |
| 3. Penal Compensatory Afforestation | :Rs. 0/- |
| 4. Catchment Area Treatment | :Rs. 0/- |
| 5. Safety Zone | :Rs. 0/- |
| 6. Additional Charges for protected area | :Rs. 0/- |
| 7. Net Present Value (NPV) | :Rs. 5001740/- |
| 8. Other Charges | :Rs. 0/- |
| 9. Other Charges1 | :Rs. 0/- |
| 10. Other Charges2 | :Rs. 0/- |
| 11. Other Charges3 | :Rs. 0/- |

Total Amount :Rs. 8443840/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email:ee wrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम शर्त क्रमांक 5(बी) के परिपालन में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू राशि को भविष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेषज्ञ कमेटी / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है तो अंतर की राशि जमा कराने हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना
के शर्त क्रमांक 09 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वराज)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के शर्त क्रमांक 12 के परिपालन में आवेदक संस्था प्रस्तावित योजना निर्माण कार्य के समय वन क्षेत्र में श्रमिक केम्प स्थापित नहीं करेंगे। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वराज)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम
Email:ee wrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना
के शर्त क्रमांक 14 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वरत)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम
Email:ee wrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना
के शर्त क्रमांक 15 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वराज)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम
Email:ee wrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना
के शर्त क्रमांक 19 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वराज)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 21 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वराज)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना
के शर्त क्रमांक 24 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वराज)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email:ee wrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना
के शर्त क्रमांक 25 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

चालान क्रमांक
CHALLAN No.

Form M.P.T.C. 7
See Subaldlary Rule 69

कल्पक, इन्दौर
Try

खजाना/उपखजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
Challan of cash paid into the Treasury/Sub Treasury/State/Reserve Bank of India

में पैसा जमा करने का चालान

पैसा जमा कराने वाले ने लिखना चाहिये
To be filled in by the remitter

14716018
भाग्रीय या खजानाधिकारी ने लिखना चाहिये
To be filled in by the Departmental officer to the Treasury officer

By whom ordered कान लाया	Name Designation & Address of the person on whose behalf money is paid उसका नाम (या ओहदा) और पता जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है।	Full particulars of the remittance and/or the authority (If any) किस बाबत पैसा जमा किया जा रहा है। पूरा विवरण	Amount रकम	Head of Account लेखा शीर्ष	Accounts officer by whom Adjustable लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	Order in the Bank बैंक को आदेश
1	2		4		6	7
Name नाम 7-मं-इ. गलाम	वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल, रतसाम	कुल 29,92,280/- Total कुल	29,92,280	लेखा शीर्ष 106	वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल, रतसाम	Date 27/3/10 Correct received & grant receipt (Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in)

in words) Rupees 29,92,280/-
शब्दों में) रुपये दूनी लाख नौ हजार दो सौ अठ्ठासी रुपये मात्र
To be used only in the case of remittance to the bank through Department at officer to the Treasury officer

received payment in words Rupees 29,92,280/-
दूनी लाख नौ हजार दो सौ अठ्ठासी रुपये मात्र
Treasurer Accountant Date Treasury Officer Agent

चालान क्रमांक

CHALLAN No.

Form M.P.T.C. 7
See Subsidiary Rule 69

29529946

कलकत्ता, इन्दौर
Try

खजाना/उपखजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

Challan of cash paid into the Treasury/Sub Treasury/State/Reserve Bank of India

में पैसा जमा करने का चालान

पैसा जमा करने वाले ने लिखना चाहिये

To be filled in by the remitter

विभागीय या खजानाधिकारी ने लिखना चाहिये
To be filled in by the Departmental officer to the Treasury officer

By whom tendered कौन लाया	Name Designation & Address of the person on whose behalf money is paid उसका नाम (या ओहदा) और पता जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है।	Full-particulars of the remittance for the authority (if any) रकम के विवरण जिस बाबत पैसा किया जा रहा है।	Amount रकम Rs. रुपये Ps. पैसे	Head of Account लेखा शीर्ष	Accounts officer by whom Adjustable लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	Order in Bank बैंक का आदेश Date
1	2	3	4	5	6	7
Name नाम ज.म. 37 रतलाम	रतलाम मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, रतलाम	ज.म. संसाधन संभाग रतलाम बादायुद्धा जल्लाशय भूभाग विकल्पक हड़दारा 1400 रु. कुल 4407299 रु. Total कुल	20,00,000 30,00,000	ज.म. संसाधन संभाग रतलाम बादायुद्धा जल्लाशय भूभाग विकल्पक हड़दारा 1400 रु. कुल 4407299 रु.	रतलाम मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, रतलाम	30/3/10 Correct received & grant receipt (Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in)

(In words) Rupees तीस लाख रुपये मात्र
(शब्दों में) रुपये

To be used only in the case of remittance to the bank through Department at officer to the Treasury officer

Received payment in words Rupees रु 30,00,000/-

Treasurer
Accountant
तीस लाख मात्र

Date
Agent
Treasury Officer

क्र.0	तिथि	इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण यू.टी.आर. नम्बर	परियोजना का नाम	हस्तान्तरित राशि का विवरण												मुख्या जा भेजने दि.
				वैकल्पिक वृक्षारोपण	एन.पी.व्ही.	दाण्डक रोपण	कैचमेन्ट एरिया	नहर किनारे रोपण	सड़क किनारे रोपण	बौना पौधा / औषधि पौधा रोपण	सेप्टी जॉन संरक्षण एवं सर्वहन	लीज रेन्ट	अन्य राशि	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1300 दि.
-	17-03-09	-	कनेसी जलाशय	-	10000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000000	
2	19-03-09	-	कनेसी जलाशय	-	5000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000000	
3	19-03-09	-	इनरकॉन इण्डिया लि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100000	100000	
4	19-03-09	-	अबीर इन्फ्रास्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100000	100000	
5	19-03-09	-	पलसोडी पवन ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100000	100000	
6	19-03-09	-	कोयली पार्क लाईन	-	612628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612628	
7	19-03-09	-	पलसोडी पवन ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51000	-	51000	
8	25-05-09	-	छाबडी जलाशय	-	1075000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1075000	
9	25-07-10	-	छाबडी जलाशय	4076617	4095760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8172377	2709 दि.
10	25-07-10	-	गुडमेली जलाशय	124500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124500	
11	25-07-10	-	पुन्याखेडी पवन ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100000	
12	25-07-10	-	घोलका जलाशय	-	-	-	47600	-	-	-	-	-	-	-	47600	
13	25-07-10	-	पलसोडी पवन ऊर्जा	883408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883408	
14	25-07-10	-	गुडमेली जलाशय	2794900	2992280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5787180	
15	25-07-10	-	मकनपुरा जलाशय	4151000	6260000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10411000	
16	25-07-10	-	UDSMT जलप्रदाय योजना	-	608472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608472	
17	25-07-10	-	सड़क निर्माण योजना	-	563400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563400	
18	25-07-10	-	गोपालपुरा पवन ऊर्जा	-	1327120	-	-	-	-	-	-	-	180000	-	1507120	3999 दि. 0
19	25-07-10	-	गोपालपुरा पवन ऊर्जा	-	-	-	240000	-	-	498000	-	-	-	-	738000	174 दि. 14
20	25-07-10	-	गोपालपुरा पवन ऊर्जा	-	-	-	2300000	-	-	5000000	-	-	-	-	7300000	2592 दि. 0
21	25-07-10	-	पलसोडी पवन ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6052089	2649 दि. 1
22	25-07-10	-	पलसोडी पवन ऊर्जा	6052089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	25-07-10	-	पलसोडी पवन ऊर्जा	18082514	32534660	0	2587600	0	0	5498000	0	0	231000	400000	59333774	-

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2023

क्रमांक/59.5/आर-1162743/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $23^{\circ}32'37.51''$ से $23^{\circ}32'12.99''$ उत्तर अक्षांश तथा $74^{\circ}54'41.13''$ से $74^{\circ}55'07.73''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- रतलाम
वनमण्डल -- रतलाम

तहसील - पिपलौदा
वन परिक्षेत्र - सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	शेरपुर	शेरपुर	मध्यप्रदेश शासन का का.का. घासबीड़	858/1 858/2 858/3 858/4/2	5.100 8.993 12.770 8.353	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 01 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 09 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 11 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 19 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	35.216	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC15/2019-BHO/209 दिनांक 06 मार्च, 2019 एवं आदेश क्रमांक 6-MPC080/2018-BHO/056 दिनांक 22 जनवरी, 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की उमरन जलाशय एवं गढावदिया जलाशय परियोजना तथा अन्य परियोजना में प्रभावित 33.688 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 35.216 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 35.216 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रतलाम के आदेश प्रकरण क्रमांक 0018/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 23.09.2021, RCMS प्रकरण क्रमांक 0019/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 05.05.2022, RCMS प्रकरण क्रमांक 0020/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 05.05.2022, RCMS प्रकरण क्रमांक 0021/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 05.05.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार पिपलौदा जिला-रतलाम के प्रतिवेदन दिनांक 06.09.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2023

क्रमांक 595-आर-1162743-2023-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 595-आर-1162743-2023-दस-3, दिनांक 10 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/12

उज्जैन, दिनांक 08-02-2024

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रं. 92 एवं 93 दिनांक 15-09-2022 एवं आदेश क्रं. 07 दिनांक 08-02-2023 से जारी तकनीकी स्वीकृतियां एतद् द्वारा निरस्त की जाकर, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रं. 383 दिनांक 25-01-2024 से रतलाम जिले के अन्तर्गत गढ़ावदिया एवं उमरन जलाशय परियोजना हेतु कैम्पा मद मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जमा राशि मे से गैर वनभूमि हेतु फैंसिंग की व्यय राशि कम किए जाने के उपरान्त शेष राशि से 1000 पौधा प्रति हे. के मान से बिगड़े वनक्षेत्र परिक्षेत्र सैलाना बीट बोरदा कक्ष क्रं. 130 मे अन्य स्थल पर 21.703 हे. पर वनभूमि की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की है।

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम/बीट का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हे. में)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि (लाख में)
1	सैलाना	बोरदा	130	21.703	90.93

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रतलाम द्वारा प्रेषित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि रु. 9093494/- (रु. नब्बे लाख तिरानवे हजार चार सौ चौरानवे मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फैंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
- 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
- 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)

भा.व.से.

वन संरक्षक

उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 701

उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम की ओर उनके 383 दिनांक 25-01-2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

मध्य-प्रदेश शासन वन विभाग



क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

बजट मद	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण
वर्ष	:-	2024-25 से 2034-35
योजना का नाम	:-	गढावदिया एवं उमरन जलाशय परियोजना
स्थल का नाम	:-	बोरदा
कक्ष क्रमांक	:-	पी-130
रकबा	:-	12.770+8.933=21.703 हे.
बीट का नाम	:-	बोरदा
सबरेंज	:-	सरवन
वन परिक्षेत्र	:-	सैलाना
वनमण्डल	:-	रतलाम
प्राक्कलन लागत	:-	9093494

सामान्य वनमण्डल — रतलाम

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राजेक्ट रिपोर्ट

भाग – 01

सामान्य विवरण

01:- परियोजना का विवरण –

(अ) परियोजना का नाम	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण (कैम्पामद) अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण (उमरन एवं गढावदिया तालाब परियोजना) रकबा 21.703 हे.
(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	:-	क्रमांक दिनांक
(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	:-	—
01. जिला	:-	रतलाम
02. वनमण्डल	:-	सामान्य वन मण्डल रतलाम
03. परिक्षेत्र	:-	सैलाना
04. तहसील	:-	सैलाना
05. विकासखण्ड	:-	सैलाना
06. विधानसभा क्षेत्र	:-	सैलाना
07. ग्राम पंचायत	:-	बोरदा
08. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	सरवन
09. क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:-	बोरदा

02. स्थल विशेष जानकारी :-

01. ग्राम वन समिति	:-	ग्राम वन समिति बोरदा
02. वन खण्ड एवं कक्ष क्र./राजस्व क्षेत्र	:-	कक्ष क्रमांक पी-130
03. राजस्व क्षेत्र/कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:-	21.703 हेक्टर
04. कार्यवृत्त	:-	
05. उपचार श्रेणी/पातन	:-	
06. उपचार इकाई/कुप क्र. एवं ड्यू वर्ष	:-	
07. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:-	40 कि.मी.
08. राजस्व क्षेत्र/कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:-	निरंक

03. प्रस्तावित स्थल में पुर्व में किये गये वृक्षारोपण :-

(ए) योजना	:-	निरंक
(बी) वर्ष	:-	निरंक
(सी) क्षेत्रफल	:-	निरंक
(डी) प्रजाति	अनु	:- प्रजाति - पौधा संख्या
	निरंक	:- निरंक - निरंक
(ई) वृक्षारोपण असफलता का कारण	:-	निरंक
(एफ) वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	:-	निरंक
01. गठित समिति का प्रकार	:-	ग्राम वन समिति बोरदा
02. समिति का मुख्यालय	:-	बोरदा
03. समिति में सम्मिलित गाँव	:-	बोरदा
04. समिति के अध्यक्ष का नाम	:-	श्री भीमसिंह पिता जीवणा
05. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	:-	श्री रवि शर्मा, वनरक्षक
06. परिक्षेत्र के सहायक का नाम	:-	श्री सौंकसिंह डांगी, उपवनक्षेत्रपाल

	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन कृषक			अन्य			योग		
	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.
आदिवासी	104	51	155	66	25	91	—	—	—	—	—	—	170	76	246
हरीजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सामान्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग:-	104	51	155	66	25	91	—	—	—	—	—	—	170	76	246

04. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भोगोलीक रचना) :-

(ए) टोपोग्राफी	:-	मैदानी क्षेत्र/मुरमी हल्की ढलान
(बी) एस्पेक्ट	:-	उत्तरी क्षेत्र
(सी) ढलान	:-	10 डिग्री एवं अधिक
(अ) पानी निकासी	:-	मध्यम
(ब) भू-क्षरण	:-	मध्यम
(डी) चट्टानों का विवरण	:-	निरंक
(इ) मिट्टी का प्रकार	:-	मुरमी

(एफ) औसत वार्षिक वर्षा	:—	797 मिलीमीटर
(जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:—	30 प्रतिशत
(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:—	70 प्रतिशत
(आई) पथरीली मिट्टी	:—	निरंक

05. वन क्षेत्र का विवरण :—

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज	:—	
संक्षिप्त विवरण	:—	निरंक

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष
—	—	—

(बी) साईट क्वालिटी घनत्व	:—	रिक्त
(सी) पूर्ण वन वर्धन	:—	निरंक

टुट एवं गोलाई की गणना

गोलाई								
प्रजाति	20 से.मी. तक की आड़ी-तेड़ी पौध	21 से 30 से.मी.	31 से 30 से.मी.	31 से 45 से.मी.	46 से 60 से.मी.	61 से 90 से.मी.	91 से 120 से.मी.	120 से.मी. से ऊपर
योग :—	—	—	—	—	—	—	—	—

(डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:—	निरंक
(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:—	निरंक
(एफ) खरपतवार (मुख्यतःलेन्टाना)	:—	निरंक
(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:—	21.703 हेक्टर
(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:—	—
(आई) विकृत बांस का क्षेत्र	:—	निरंक
(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	:—	10 प्रतिशत कच्ची मुरम
(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है	:—	निरंक
(कार्य अयोग्य)		
(एल) जैविक दबाव	:—	अधिक

प्रकार		जैविक दबाव	
वन्य प्राणी	नील गाय	औसत	नगण्य
चराई	आंशिक	अधिक	—
मानव	आंशिक	अधिक	—

06. योजना का उद्देश्य :- वैकल्पिक वृक्षारोपण
क्षेत्रफल :- 21.703 हेक्टर
07. उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण :- वैकल्पिक वृक्षारोपण
कट बैंक का क्षेत्र :- निरंक
वृक्षारोपण का क्षेत्र :- 21.703 हेक्टर
भू-क्षरण का क्षेत्र :- निरंक
लेन्टाना :- मध्यम
08. रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जावेंगे :- अनुसंधान विस्तार वृत्त रतलाम की बासिन्द्रा, नाल, रतलाम एवं शिवगढ़।
09. रोपणी से रोपण स्थल की दुरी
(अ) ट्रक/टेक्टर द्वारा :- 70-80 कि.मी.
(ब) सिर बोझ द्वारा :- 01 से 02 कि.मी.
10. सिंचाई का विवरण
(अ) जल स्रोत :- —
(ब) वृक्षारोपण से दुरी :- —
(स) सिंचाई से तरीका :- —
(द) बिजली उपलब्धता :- —
11. प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :- 1000
(अ) प्रति हेक्टर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :- निरंक
(ब) क्षेत्र मे उपलब्ध वृक्षो की संख्या :- निरंक
(20 से.मी. से अधिक)
(स) क्षेत्र मे सीधे एवं स्थापित पौधे :- निरंक
(20 से.मी. से अधिक)
(द) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधो की संख्या :- 21703

न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर से 21.703 हेक्टर हेतु कुल पौधो की संख्या 21703

12. योजना की अवधी	:—	11 वर्ष
13. (ए) योजना पर होने वाला संभावित व्यय	:—	90.93 (लाख में)
(बी) प्रति हेक्टर व्यय	:—	4.19 (लाख में)
14. अन्य विवरण	:—	


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना

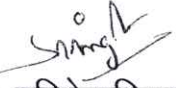

उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल ग्राम वन समिति – बोरदा के कक्ष क्रमांक पी-130 तहसील सैलाना जिला रतलाम का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक / ~~बय~~ / 2024 / 12 दिनांक 08/02/24 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन

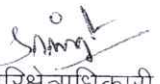
वानिकी कार्य हेतु चेक लिस्ट

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. वनमण्डल का नाम | : रतलाम |
| 2. परिक्षेत्र का नाम | : सैलाना |
| 3. कक्ष क्रमांक/रकबा | : पी-130 रकबा 21.703 हैं. |
| 4. ग्राम वन समिति | : बोरदा |
| 5. प्रस्तावित कार्य का नाम | : वैकल्पिक वृक्षारोपण |
| 6. योजना का नाम | : क्षतिपूर्ति वनीकरण (कैम्पामद) |
| 7. कार्य अवधि | : वर्ष 2024-25 से 2034-25 तक |
| 8. चयनित स्थल का अक्षांश व देशांश | : |

दिशा	अक्षांश	देशांश
पुर्व	N 23°29'04.60"	E 74°42'26.28"
पश्चिम	N 23°28'54.86"	E 74°42'04.26"
उत्तर	N 23°29'11.88"	E 74°42'11.74"
दक्षिण	N 23°28'48.71"	E 74°42'13.16"

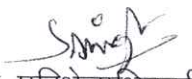
9. तकनीकी स्वीकृति का पत्र क्रमांक/दिनांक
10. वित्तीय स्रोत
- (अ) आवंटन स्वीकृत-कर्ता का पदनाम व जारी पत्र क्रमांक व दिनांक : क्षतिपूर्ति वनीकरण (कैम्पामद)
- (ब) बजट मद :
- (स) स्वीकृत आवंटन :
11. चयनित क्षेत्रफल : 21.703 हेक्ट.
12. प्राक्कलन की लागत : 90.93 लाख
13. प्राक्कलन में निम्नानुसार दस्तावेजों की पूर्ति की गई है अथवा नहीं : हाँ

क्र.	विवरण	हां/नहीं
1	प्राक्कलन में प्रयुक्त दर (एस.ओ.आर) निम्न में से किस आधार पर लगाई गई है ? (क) पी.डब्ल्यू.डी.दर (ख) आर.ई.एस.दर (ग) सी.एफ. जाबदर	(क) पी.डब्ल्यू.डी.दर (ख) आर.ई.एस.दर (ग) सी.एफ. जाबदर
2	क्या प्राक्कलन से योजना के उद्देश्य की पूर्ति होती है?	हाँ
3	क्या प्रस्तावित क्षेत्र का चयन राजपत्रित अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर किया गया, इस आशय का प्रमाण -पत्र प्राक्कलन में संलग्न किया गया है?	हाँ
4	संयुक्त वन प्रबंधन समिति की भागीदारी सुनिश्चित है, अथवा नहीं?	हाँ
5	क्या समिति का ठहराव -प्रस्ताव प्राप्त कर संलग्न किया गया है?	हाँ
6	क्या चयनित क्षेत्र विवादित है?	नहीं
7	क्या चयनित स्थल का विधिवत् सर्वेक्षण उपरांत KML File बनाकर संलग्न की गई है?	हाँ
8	क्या प्रस्तावित रोपण स्थल को 4 हेक्टेयर से अनाधिक आकार के सेक्टर में बांटा गया है?	हाँ
9	क्या प्रत्येक सेक्टर के चारों तरफ निरीक्षण मार्ग है ?	हाँ
10	क्या प्राक्कलन आवंटन सीमा में है?	हाँ
11	क्या प्रस्तावित कार्य, कार्य आयोजना के अंतर्गत कार्यवृत्त में प्राक्कलित है?	हाँ
12	क्या स्टॉक मैप एवं उपचार मानचित्र 1:50000 स्केल पर पृथक-पृथक तैयार कर वन मण्डल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया है ?	हाँ
13	चयनित क्षेत्र किस टाईप का है ? A-US1/BL1 B-US2/BL2 C-US3/BL3	
14	क्या वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु कार्य प्रस्तावित किया गया है?	हाँ
15	क्या प्रस्तावित फेंसिंग के चारों ओर तीन मीटर चौड़ा निरीक्षण पथ छोड़ा गया है?	हाँ
16	क्या प्रस्तावित कार्य आवंटन सीमा में है?	हाँ
17	क्या प्राक्कलन में उद्देश्य के अनुसार चयनित प्रजाति का उल्लेख किया है?	हाँ
18	क्या प्राक्कलन में कक्ष इतिहास संलग्न किया है?	हाँ


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 सैलाना

योजना का संक्षिप्त विवरण

1.	योजना का नाम	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण (केम्पामद)
2.	कार्य का नाम		वैकल्पिक वृक्षारोपण
3.	कार्य अवधि	:-	वर्ष 2024-25 से 2034-25 तक
4.	कक्ष क्रमांक	:-	पी-130 (बोरदा)
5.	क्षेत्रफल	:-	21.703 हेक्ट.
6.	योजना का उपचारित क्षेत्र	:-	21.703 हेक्ट.
7.	कार्यवृत्त	:-	चारागाह विकास प्रबंधन
8.	बीट का नाम	:-	बोरदा
9.	संयुक्त वन प्रबंधन समिति का नाम	:-	ग्राम वन समिति - बोरदा
10.	परिक्षेत्र का नाम	:-	सैलाना
11.	कुल फेंसिंग किया गया क्षेत्र	:-	21.703 हेक्ट.
12.	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1000 पौधे प्रति हेक्ट.)	:-	21703 पौधे
13.	चयनित प्रजातियां (प्राथमिकतानुसार)	:-	सागौन, चिरोल, सिस्सु, नीम, खेर/सफेद खेर, जंगल जलेबी, आवंला, सीताफल, महारुख, कस्टार, बांस लसोडा, अमलतास, खमेर, कुल्ल, काला शिशम, अंजन, कुसुम, बेलपत्र, हर्रा, अन्य


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 सैलाना

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- गढावदिया एवं उमरन जलाशय परियोजना

क्षेत्रफल :- 21.703 हेक्टेयर

वनमण्डल का नाम :- रतलाम (सामान्य)

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- गढावदिया एवं उमरन जलाशय परियोजना
2. जिला :- रतलाम
3. वनमण्डल :- रतलाम
4. परिक्षेत्र :- सैलाना
5. तहसील :- सैलाना
6. ग्राम पंचायत :- बोरदा
7. बीट का नाम :- बोरदा
8. कक्ष क्रमांक :- पी-130
9. वन समिति का नाम :- गुड़भैली
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- चारागाह विकास प्रबंधन
11. मिट्टी का प्रकार :- लेटराईट
12. साईट क्वालिटी :- VB

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 21703 पौधें
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	4000	1 से 1.5	न्यूनतम 45 से.मी.	3.5—5.0
चिरोल	4500	1.5 से 2	न्यूनतम 45 से.मी.	2.5—3.0
सिस्सु	5000	एक वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.0—2.5
नीम	1500			
खैर/सफेद खैर	1500			
जंगल जलेबी	1200			
आवंला	600			
सीताफल	500			
महारुख	250			
कस्टार	500			
बांस	1000	1.5 से 2	न्यूनतम 45 से.मी.	3.0—5.0
अन्य	603			
संकटापन्न प्रजाति				
लसोडा	55	एक वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.0—2.5
अमलतास	55			
खमेर	55			
कुल्लु	55	1.5 से 2	न्यूनतम 45 से.मी.	2.5—3.0
काला शिशम	55			
टंजन	55			
कुसुम	55			
बेलपत्र	55			
हर्रा	55			
अन्य	55	प्र.मु.व.स. अनुविस्तार विस्तार के पत्र क्रमांक/रोपणी/2857 दिनांक 06.11.2018 अनुसार		
योग—	21703			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में मिट्टी से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फैंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।

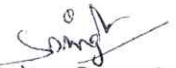
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जायेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत तृतीय वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 2 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

9.

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


 वनरिक्षेत्राधिकारी
 सैलाना

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 21.703 हेक्टेयर)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

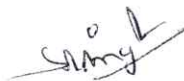
रकबा 21.703 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष 2024-25 -योजना का प्रथम वर्ष संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

मजदूरी दर

385

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा. दि.	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	21.703	ha	0.45	प्रति हे०	9.77	3760	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण (200 मी. पर 1 मुनारा)	10	मुनारा	16	मुनारा	160.00	61600	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	21.703	ha	1.00	-	21.70	8356	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	21.703	ha	4.00	प्रति हे०	86.81	33423	जॉबदर
5	लेन्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	10	ha	12.50	प्रति हेक्ट	125.00	48125	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2100.00	Rmt	2.4	Rmt	5040.00	1940400	गणना के आधार पर
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	21703	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	54.26	20889	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 60x60x45 cm.	21703	गड्ढे	9.5	प्रति सैकड़ा	2061.79	793787	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30%	937.57	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1406.35	541446	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15%	468.78	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1406.35	541446	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	21703	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	325.55	125335	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			150.00	57750	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, चूना आदि)					200.00	77000	अनुमानित
	योग					11047.58	4253317	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 10 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	1104.76	425332	अनुमानित
	कुल योग					12152.34	4678649	


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

योजना का द्वितीय वर्ष 2025-26

(असिंचित)

मजदूरी दर 408.1

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा. दि.	इकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	21703	पौधे	0.04	प्रति पौधा	769.59	314069	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20%	4341	पौधे	0.04	प्रति पौधा	153.92	62814	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	26044	पौधे	1.5	1.5 / 100	390.65	159426	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	26044	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	104.17	42514	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	5	हेक्टेयर	8	मा.दि. प्रति हेक्ट	40.00	16324	जॉबदर
4	रोपण 60x60x45 cm.	21703	पौधे	1.95	2 प्रति सैकड़ा	423.21	172711	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई पौधों में	21703	पौधे	1.25	1.25 / 100	271.29	110712	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई पौधों में	21703	पौधे	1	1 / 100	217.03	88570	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई पौधों में		पौधे	1	1 / 100	0.00	0	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	21703	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	130.22	53142	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3970	mtr	3.35	3.35 / किमी	13.30	5428	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2064	mtr	2.25	2.25 / किमी	4.64	1895	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			234.00	95495	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	21703	पौधे		Lumsum	500.00	204050	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50.00	20405	अनुमानित
योग:-						3302.02	1347555	

योजना का तृतीय वर्ष 2026-27

(असिंचित)

मजदूरी दर 432.59

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा. दि.	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10% पौधों के पुनरोपण हेतु)	2170	पौधे	0.04	प्रति पौधा	76.96	33291	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2170	पौधे	1.5	1.5 / 100	32.55	14083	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2170	पौधे	0.4	मा.दि./सैकड़ा	8.68	3755	जॉबदर
3	रोपण 60x60x45 cm.	2170	पौधे	1.95	मा.दि./सैकड़ा	42.32	18307	जॉबदर
4	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40.00	17303	अनुमानित
5	प्रथम निंदाई पौधों में	21703	पौधे	1.25	1.25 / 100	271.29	117355	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई पौधों में	21703	पौधे	1	1 मादि / 100	217.03	93884	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई पौधों में		पौधे	1	1 मादि / 100	0.00	0	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	21703	पौधे	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	130.22	56331	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	3.35 / किमी	5.53	2391	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	2.25 / किमी	1.80	779	जॉबदर
10	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 ekg			312.00	134967	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				Lumsum	500.00	216294	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50.00	21629	अनुमानित
योग:-						1688.38	730369	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना

उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027-28

(असिंचित)

मजदूरी दर 458.5340

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2170	पौधा	0.04	प्रति पौधा	76.96	35288	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2170	पौधा	1.5	100	32.55	14927	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2170	पौधा	0.4	सैकड़ा	8.68	3981	जॉबदर
3	रोपण 60x60x45 cm.	2170	पौधें	1.95	मा.दि./सैकड़ा	42.32	19406	जॉबदर
4	प्रथम निंदाई पौधों में	21703	पौधा	1.25	100	271.29	124395	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई पौधों में	21703	पौधा	1	100	217.03	99516	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	21703	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	130.22	59709	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	2535	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	825	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	143063	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50.00	22927	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		20000		स्नडेनउ	250.00	114633	अनुमानित
	योग:-					1398.38	641205	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2028-29

(असिंचित)

मजदूरी दर 486.06

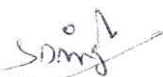
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100.00	48606	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई पौधों में	21703	पौधा	1.25	100	271.29	131863	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई पौधों में	21703	पौधा	1	100	217.03	105490	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	21703	पौधा	0.6	सैकड़ा	130.22	63294	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	2687	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	875	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	151652	अनुमानित
7	अन्य व्यय					20.00	9721	अनुमानित
	योग:-					1057.86	514188	

योजना का षष्ठम वर्ष 2029-30

(असिंचित)

मजदूरी दर 515.21

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	2848	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	927	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	160745	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10.00	5152	अनुमानित
	योग:-					329.33	169672	


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	3019	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	983	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	170390	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10.00	5461	अनुमानित
योग:-						329.33	179853	

योजना का अष्टम वर्ष 2031-32

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	3201	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	1042	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	180661	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10.00	5790	अनुमानित
योग:-						329.33	190694	

योजना का नवम वर्ष 2032-33

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	3392	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	1105	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	191471	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10.00	6137	अनुमानित
योग:-						329.33	202105	

योजना का दशम वर्ष 2033-34

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	3596	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	1171	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	203003	अनुमानित
3	अन्य व्यय					9.00	5856	अनुमानित
योग:-						328.33	213626	


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		मजदूरी दर		रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई	कुल मानव दिवस	राशि	
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1650	mtr	3.35	किमी	5.53	3809	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	800	mtr	2.25	किमी	1.80	1240	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	215016	अनुमानित
3	अन्य व्यय					8.00	5513	अनुमानित
योग:-						327.33	225578	

गोश्वारा, आदर्श रोपण

क्र.	वर्ष	मजदूरी दर	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
1	प्रथम	385	12152.34	1.000	12152.34	4678649
2	द्वितीय	385	3302.02	1.060	3500.14	1347555
3	तृतीय	385	1688.38	1.124	1897.06	730369
4	चतुर्थ	385	1398.38	1.191	1665.47	641205
5	पंचम	385	1057.86	1.263	1335.55	514188
6	षष्ठम	385	329.33	1.338	440.71	169672
7	सप्तम	385	329.33	1.419	467.15	179853
8	अष्टम	385	329.33	1.504	495.31	190694
9	नवम	385	329.33	1.594	524.95	202105
10	दशम	385	328.33	1.690	554.87	213626
11	ग्यारवा	385	327.33	1.790	585.92	225578
	कुल योग		21571.94		23619.46	9093494

418997.094


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

ग्राम वन समिति - बोरदा बैठक

PROJECTED
DATE / /

आज दिनांक 06/01/2024 को पेयायत कक्षा बोरदा में बैठक ली गयी। जिसमें ग्राम पेयायत बोरदा के ग्रामीण एवं समिति सदस्य उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता गा.व. समिति अध्यक्ष श्री मरिंद्र ठारा की द्वारा। बैठक में निम्नलिखित ठहराव प्रस्ताव लिये गये।

- | | |
|---|---|
| <p>प्रस्ताव</p> <p>① समिति सद. सचिव प्रेमसिंह मरिंद्र पिता बाबू ठारा पुत्र १५३० में रिक्त वन क्षेत्र में फेंकी हुई डर प्रदारापन ठरक प्रस्ताव रखा गया। जिससे ग्रामीणों के चारे (घास) की प्राप्ति होती एवं पशु चरण समुदाय बड़ेगा।</p> | <p>ठहराव</p> <p>बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी डर उक्त सधमात उदाय की गयी -</p> |
|---|---|

रवि शर्मा
रवि शर्मा
बीट गार्ड - बोरदा

प्रेमसिंह ब्रीमसिंहमंडी
सचिव अध्यक्ष
ग्राम वन समिति बोरदा
ठकर मैलाल

दिनेश

कालुसिंह

उदयलाल

विभुस

कालुसिंह

अक्षत

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

1	वनमण्डल	राजलाम
2	परिक्षेत्र	सैलाना
3	वनखण्ड	भाड़ी 2
3.1	अधिसूचना का विवरण	मध्य भारत राजपत्र क्र 2405-X-F- 592-55 दिनांक 15 06 56 से संरक्षित वन घोषित।
3.2	टोपीशोट क्रमांक (1 15,000 अथवा 12,500)	46-1/11-C1
4	(अ) नया कक्ष क्रमांक (ब) पुराना कक्ष क्रमांक	P - 130 P - 130
5	सामान्य विवरण	कक्ष उबड़-खाबड़ एवं अर्द्ध पहाड़ी है, जिसका अधिकांश भाग वनविहिन है, जो कि BL3 श्रेणी का है। कक्ष के ढलान वाले क्षेत्र में निम्न सन्निधि युक्त US2 श्रेणी का सागौन वन मौजूद है, जो कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा रखत के रूप में सुरक्षित रखे गये हैं। इनमें मुख्य रूप से सागौन, पलाश, तेदु, अमलतास, नीम आदि प्रजातियाँ मौजूद हैं। कक्ष की मृदा लाल रेतीली एवं पहाड़ी के उपरी हिस्से में काली कंकरीली है, जो कि मध्यम गहरी एवं अति शुष्क है। कक्ष में जैविक दबाव अधिक है जिस कारण कक्ष में पैतृस के रूप में अतिक्रमण बढ़ा है जो कि पहाड़ी की उपरी क्षेत्र में अधिकांश विद्यमान है। मानचित्र पर बने मुनारे और भौके पर बने मुनारों में अंतर होने से वन सीमा का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया एवं वनखण्डों के पुराने मानचित्रों व राजस्व विभाग के अभिलेखों तथा भौका सर्वेक्षण अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल के सहयोग से आवश्यक सुधार कराया गया, जिसके फलस्वरूप कक्ष के डिजिटाइज्ड मानचित्र के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तदनुसार तैयार डिजिटाइज्ड मानचित्रों के अनुसार भौके पर मुनारे बनाये जाना आवश्यक होगा। विगत कार्य आयोजना में इसे चारागाह कार्यवृत्त में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप कक्ष में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। वर्तमान में इसे पुनः चारागाह कार्यवृत्त में रखा गया है।
6	क्षेत्रफल (हेक्टे)	500.97
7	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश 23°29'00" देशान्तर 73°42'10"
8	सीमा विवरण :-	
8.1	उत्तर	संरक्षित वन सीमा रेखा मुनारा क्र 828 से 843 तक।
8.2	पूरुब	कक्ष के 129 की सीमा प्राकृतिक नाला एवं कट लाइन।
8.3	दक्षिण	संरक्षित वन सीमा रेखा मुनारा क्र 795 से 812 तक।
8.4	पश्चिम	संरक्षित वन सीमा रेखा मुनारा क्र 812 से 828 तक व कक्ष के 187 की सीमा एवं राजस्थान की सीमा।

9	जैवमैक स्थिति	सरक्षित वन	
10	वन संरचना		
10.1	वनो का प्रकार	सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य	
10.2	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु / मुख्यतः युवा आयु✓ / मुख्यतः अग्रिम पौधे	
10.3	सन्निधि	अति सघन / मध्यम सघन / विरल वन✓ / झाड़ी वन✓	
10.4	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb, Va, Vb✓	
11	सामान्य स्थलाकृति		
11.1	धरातल विवरण	समतल / अर्द्ध पहाड़ी✓ / पहाड़ी / दुर्गम पहाड़ी / ऊबड़-खाबड़	
12	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)		
12.1	न्यूनतम	370	
12.2	अधिकतम	420	
12.3	बेच मार्क	—	
12.4	स्थायी चिन्ह	कक्ष के दक्षिणी भाग में ग्राम गुडभेली की राजस्व भूमि स्थित है।	
13.	ढाल की दिशा	उत्तर / उत्तर-पूर्व / पूर्व / दक्षिण-पूर्व / दक्षिण✓ / दक्षिण-पश्चिम / पश्चिम / उत्तर-पश्चिम / चारों ओर	
14.	ढाल (ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		10 तक	0.00
		10 से 30 तक	15.17
		30 से 40 तक	248.45
		40 से अधिक	237.35
		योग—	500.97
15	भौमिकी	आरकियन / विन्ध्यान / विजावर / लोअर गोंडवाना / अपर गोंडवाना / लमेटा / डेक्कन ट्रेप✓ / आदि	
16	शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट✓ / सैंडस्टोन / शैल / स्लेट / शिष्ट / नीस / ग्रेनाइट / क्वार्टजाइट / चर्ट / कांगलोमेरट / लाइमस्टोन / आदि	
17.	मृदा का विवरण		
17.1	प्रकार	दोमट / चिकनी / काली / रेतीली दोमट / रेतीली / चिकनी दोमट / कंकरीली✓ / लाल लेटेराइट / जलोढ़	
17.2	संरचना	भुरभुरी✓ / किंचित ठोस / अत्यधिक ठोस	
17.3	आर्द्रता	दलदल / आर्द्र / शुष्क / अतिशुष्क✓	
17.4	गहराई	मिट्टी विहीन / बहुत उथली / उथली / मध्यम गहरी✓ / गहरी / बहुत गहरी	
17.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन✓ / अपर्याप्त / मध्यम / पर्याप्त / अधिक	
18.	भू-क्षरण :-		
18.1	स्थिति	नगण्य / सामान्य / मध्यम✓ / बहुत अधिक	
18.2	प्रकार	शीट✓ / गली✓ / अन्य	
18.3	जल धारण क्षमता	कम✓ / मध्यम / अधिक	

19	वन सन्निधि का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण :-		
19.1.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	साल / सामान✓ / मलई / नरक✓	
19.1.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार / पलाश✓ / अमलतास✓ / आम /	
19.1.3	अधोस्तरीय प्रजातियां	तंदू✓ / घाट /	
19.1.4	घास	है / नहीं है✓	
19.1.5	झाड़ियाँ	लेण्टाना✓ / धवई / प्रसापस✓ / वर✓	
19.1.6	शाक	चकोडा / चिरचिटा / पुवाडिया✓	
19.1.7	विखरी प्रजातियां	साजा / आवला / बहडा✓	
19.1.8	दुर्लभ प्रजातियां	निरक✓	
19.2	मुख्य अकाष्टीय प्रजातियां :-		
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ / आवला / तन्दू✓ /	
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार / पलाश✓ / अमलतास✓ /	
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	तेंदू✓ / घोंट /	
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	धवई / करोंदा / मालाकागनी / निरक✓	
19.2.5	शाक प्रजातियां	चकोडा / चिरचिटा / वनतुलसी / निरक✓	
19.2.6	कद प्रजातियां	सफेद मूसली / काली मूसली / कवकट / निरक✓	
19.2.7	बेला प्रजातियां	माहुल / गुड़मार / निरक✓	
20.	पुनरुत्पादन का विवरण :-		
	प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर / स्थूल प्रसह
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर / स्थूल प्रसह✓
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर / स्थूल प्रसह✓
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर / स्थूल प्रसह✓
21.	अवैध कटाई	नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक	
22	चराई विवरण		
22.1	चराई भार	नगण्य / कम / मध्यम✓ / बहुत अधिक	
22.2	पशु शिविर	है / नहीं✓	
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक	
24	जैविक हरतक्षेप	नगण्य / कम / मध्यम / अधिक✓ / अत्यधिक	
25	प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा✓ / कीट / रोग /	
26	अतिक्रमण / उत्खनन	7.48 हे. / निरक✓	
27	घास क्षेत्र	निरक✓	
	घनत्व	स्थल गुणवत्ता	क्षेत्रफल (हेक्टर)
	विरल	प्रथम	-
		द्वितीय	-
		तृतीय	-
		योग-	

	प्रथम	प्रथम	—		
		द्वितीय	—		
		तृतीय	—		
		योग—			
समान	प्रथम	प्रथम	—		
		द्वितीय	—		
		तृतीय	—		
		योग—			
		महायोग —			
28	घास प्रजातियाँ				
28.1	चारे योग्य	चिनोई, थोड, लम्पा, गुन्धाली✓			
28.2	अरवाण	भुरभुरसी, सुकली✓ गंदली घास,			
28.3	घास उपलब्धता	अनुपस्थित / नगण्य / कम✓ / अधिक / बहुत अधिक			
29	आक्रामक प्रजातियाँ				
29.1	विस्तार	गाजर घास / लेंटाना✓ / बेशरम / चरोटा✓ /			
29.2	घनत्व	नगण्य / कम✓ / अधिक / बहुत अधिक			
30	बेल				
30.1	काष्ठीय	पलास बेल / माहुल बेल / निरंक✓			
30.2	अकाष्ठीय	रामदातून / बिसांग बेल / निरंक✓			
31	निम्न सन्निधि क्षेत्र में जड़ भण्डार उपलब्धता	नगण्य / अपर्याप्त / पर्याप्त✓ / प्रचुर			
32	वृक्षारोपण —				
अनु क्र	वर्ष	क्षेत्रफल हेक्टेयर	रोपण प्रकार	पौधों की संख्या	जीवित पौधों का अनुमानित प्रतिशत
1	2011-12	30	मिश्रित	12000	—
33	जल स्रोत —				
	प्रकार (प्राकृतिक / कृत्रिम-बारहगासी / गौरागी)	स्रोत कुण्ड / तालाब / झिरिया / नदी / नाला / स्टॉप डेम / हेण्डपम्प / कुआ / अन्य			जी. पी. एस. लोकेशन
	प्राकृतिक- गौरागी	नाला			—
34	अपकर्ष (Degradation) के कारक —				
34.1	अग्नि से प्रभावित क्षेत्र	निरंक✓			
34.2	हवा से उखड़े वृक्ष	निरंक✓			
34.3	बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र	निरंक✓			
34.4	नदी नालों के बहाव की दिशा में परिवर्तन	निरंक✓			

35	वनस्पति/वन्य प्राणी दृश्य स्थल	
35.1	वाणस्पतिक (पेड़ पौधे) स्थल का विवरण एवं जी पी एस लोकेशन जहाँ पाई गई है।	रंगरा/डन ट्रीज/डाउन लाग/निरंक✓
35.2	विलुप्तप्राय एवं स्थानिक वाणस्पतिक प्रजातियों का विवरण	निरंक✓
35.3	विलुप्तप्राय एवं स्थानिक वन्य प्राणी प्रजातियों का विवरण	निरंक✓
35.4	विशेष सूक्ष्म आवास स्थल	गुफाएँ/माद/खोह/चट्टानी कगार/पत्थरों के ढेर/अन्य/निरंक✓
35.4.1	विशेष सूक्ष्म आवास स्थल का संक्षिप्त विवरण एवं पाये जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम सहित जी पी एस लोकेशन	निरंक✓
35.5	विशेष वृहद आवास स्थल	जलीय क्षेत्र/दलदली क्षेत्र/आर्द्र भू भाग/मेसिक (Mesic) साईट/ओल्ड ग्रोथ स्टैंड्स/ग्रास लैण्ड/बायोलोजिकल स्पॉट/अन्य/निरंक✓
35.5.1	विशेष वृहद आवास स्थल का संक्षिप्त विवरण एवं जी पी एस लोकेशन	निरंक✓
35.6	महत्वपूर्ण वैटलेण्ड, दलदली क्षेत्र का विवरण तथा जी.पी.एस. लोकेशन	निरंक✓
35.7	प्राकृतिक साल्ट लिंक एवं जी.पी.एस. लोकेशन	निरंक✓
35.8	जलछिद्र (Water holes) निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल, जी पी एस लोकेशन सहित	निरंक✓
35.9	विगत पांच वर्षों में वन्यप्राणी द्वारा जन एवं पशु हानि का विवरण	निरंक✓
35.10	इको पर्यटन की दृष्टि से सभावना	ब्यू प्वाइंट/वाटर फाल/फोर्ट/टूरिस्ट प्वाइंट/अन्य/निरंक✓
35.11	बाघ विवरण के साक्ष्य के संबंध में पूर्ण विवरण	निरंक✓

38	रिक्त / निम्न सन्निधि क्षेत्र में आवश्यक सुधार कार्य	
38.1	रिक्त क्षेत्र (हे.) (0.1 से कम घनत्व)	
	गहरी मृदा वाला रोपण योग्य क्षेत्र (BL1)	0.00
	पर्याप्त जड़ भण्डार युक्त क्षेत्र (BL2)	0.00
	उथली मृदा वाला चारागाह विकास योग्य क्षेत्र (BL3)	438.36
	चट्टानी क्षेत्र (BL4)	0.00

योग— 438.36

38.2	निम्न सन्निधि क्षेत्र (हे.) (0.1 से 0.4 घनत्व)	गहरी मृदा वाला रोपण योग्य क्षेत्र (US1)	0.00
		पर्याप्त जड़ भण्डार युक्त क्षेत्र (US2)	30.81
		उथली मृदा वाला चारागाह विकास योग्य क्षेत्र (US3)	0.00
		चट्टानी क्षेत्र (US4)	0.00

योग— 30.81

विगत वन प्रबन्धन व उसका परिणाम

39.	कार्यवृत्त	चारागाह विकास
40.	उपचार श्रेणी	सेमलखेड़ा

41.	उपचाराश विवरण						
अनु क्र.	उपचाराश क्र.	प्रकार (मुख्य पातन/ विरलन)	निर्धारित वर्ष	क्षेत्रफल	किये गये कार्य का विवरण		
					वर्ष	कार्य	मात्रा
1	I	मुख्य पातन	2011-12	106.083	—	—	—
2	II	मुख्य पातन	2012-13	131.313	2012-13	तलैया निर्माण	2 नग
3	III	मुख्य पातन	2013-14	105.342	—	—	—
4	IV	मुख्य पातन	2014-15	63.445	—	—	—

42. विगत कार्य आयोजना अवधि में सन्निधि में आये परिवर्तन एवं संभावित कारण :-

42.1	सरस्य संरचना	रिक्त वन एवं US2
42.2	घनत्व	0.1 तक
42.3	आयु वर्ग	युवा

प्रस्तावित प्रयन्धन	7.48						
43. प्रस्तावित कार्यवृत्त					वार्षिक विवरण कार्यवृत्त		
44. उपचार श्रेणी					संगत-खंड		
45. उपचाराविवरण							
उपचाराविवरण	प्रकार (मुख्य पातन/विरलन)	निर्धारित वर्ष	क्षेत्रफल	कितने गये कार्य का विवरण			टिप्पणी
				वर्ष	कार्य	मात्रा	
1	I-P	मुख्य पातन	2021-22	30.68			
2	II	मुख्य पातन	2022-23	45.70			
3	III	मुख्य पातन	2023-24	38.08			
4	IV	मुख्य पातन	2024-25	34.50			
5	V	मुख्य पातन	2025-26	62.55			
6	VI	मुख्य पातन	2026-27	53.77			
7	VII	मुख्य पातन	2027-28	65.51			
8	VIII	मुख्य पातन	2028-29	49.52			
9	IX	मुख्य पातन	2029-30	49.84			
10	X	मुख्य पातन	2030-31	53.60			

*वनमण्डल द्वारा बाद में भरा जावेगा

46.	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता (क्षेत्रफल)	
	सागौन	0
	बारा	0
	जलाऊ रोपण	0
	अन्य रोपण	0
	योग-	0
47.	सिंचित रोपण	संभव है/नहीं है✓
48.	संयुक्त वन प्रयन्धन हेतु टीप	ग्राम वन समिति का सक्रिय किया जाकर कक्ष के जैविक दबाव को कम किया जा सकता है।
49.	सीमा रेखा व मुनारो की स्थिति	कक्ष की सीमा पर बने मुनारे मानचित्र से मिलान नहीं करते हैं, जिसे विस्तृत सर्वेक्षण कर सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल के सहयोग से डिजिटाइज्ड मानचित्र में आवश्यक सुधार किया गया तथा डिजिटाइज्ड मानचित्रानुसार मुनारे बनाये जाना आवश्यक है।

50. वन्य प्राणी

50.1 वन्य प्राणी रहवास स्थल का विवरण :- निरंक

अनु क्र.	रहवास का प्रकार	स्थिति		रिमांक
		अक्षांश	देशान्तर	
	विशिष्ट सूक्ष्म भू-समाकृतिकीय आवास स्थल			
1	गुफाएँ			निरंक
2	भूद			निरंक
3	खोह			निरंक

4	चट्टानी कगारे / लटकती चट्टानें			निरंक
5	पत्थरी के ढेर			निरंक
	विशिष्ट वृहद आवारा स्थल			
6	जलीय क्षेत्र			निरंक
7	दलदली क्षेत्र/आर्द्र भू-भाग			निरंक
8	भैरिक साईट			निरंक
9	ओल्ड ग्रोथ स्टेण्ड			निरंक
10	घास क्षेत्र			निरंक
11	बायोलॉजिकल हाट स्पॉट अन्य स्थल			निरंक
12	दर्शनीय स्थल			निरंक
13	जल प्रपात			निरंक
14	किले/खण्डहर			निरंक
15	लोटन			निरंक
16	अन्य			निरंक

50.2 वन्य प्राणियों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रमाणों का विवरण

क्र.	वन्यप्राणी	प्रेक्षण दिनांक	स्थिति		संख्या					अप्रत्यक्ष प्रमाण का विवरण (जन्तु मात्र पदचिन्ह, आवाज दृश्यों पर चिन्ह आदि)
			अवशाश	देशांतर	नर	मादा	बच्चे	अवगीकृत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाघ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	लेन्दुआ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	भालू	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	भंडिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	लकड़बग्घा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	लोगडी ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	ग्रामीण द्वारा बताये अनुसार
7	सियार ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	ग्रामीण द्वारा बताये अनुसार
8	अन्य मासाहारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	घेंतल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	सांभर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	नीलगाय ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	ग्रामीण द्वारा बताये अनुसार
12	चिंकारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	भेड़की	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	बागिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	गौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	जंगली कुत्ता	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	काला हिरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	अन्य शाकाहारी खरगोश ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	ग्रामीण द्वारा बताये अनुसार

50.3	निम्न 5 वर्गों में जन्य पशु हानि के प्रकरणों का विवरण	निरंक
50.4	विशेष घटनाएं (यदि कोई हो तो)	निरंक
50.4.1	वन्ध प्रणाली मृत्यु का विवरण	निरंक
50.4.2	अन्य घटनाएं	निरंक

प्रपत्र - 2

कक्ष में पड़ने वाले वन संसाधन सर्वेक्षण के न्यादर्श खण्डक में की गई परिगणना

51. सागान्य विवरण

उप कक्ष	क्षेत्रफल (हे.मै)	प्लॉट का क्षेत्रफल (हे.मै)	नमूना विधि	गणना का वर्ष
कक्ष क्र. 130	500.97	0.1	आर.एस.पी - 22,27	2018

52. गणना का परिणाम

आर.एस.पी - 22- निरंक

आर.एस.पी - 27- निरंक

प्रजाति	गोलाई वर्ग (से.मी.) (संख्या)										कुल सं. अधिक
	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-120	120 से अधिक	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग :-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रपत्र - 3

53. जैव विविधता का आंकलन

वन्धप्रति प्रकार	प्रजाति संख्या	घनत्व (संख्या/हे.)	प्रतिशत	न्यादर्श खण्डक क्षेत्र (वर्ग मी./हे.)	जैव विविधता सूचकांक
वृक्ष	-	-	-	0.100	
झाड़ी	-	-	-	-	
शाक	-	-	-	-	
सीडलिंग (बीजाकुर)	-	-	-	-	
वेल्नाए	-	-	-	-	
घास	-	-	-	-	

प्रपत्र - 4

54. प्रस्तावित प्रबन्धन का विवरण -

54.1	कार्य आयोजना अवधि	वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक
54.2	कार्य आयोजना अधिकारी	श्री लोक सिंह निनामा भा.व.स., मुख्य वन सारक्षक

54.3 प्रस्तावित प्रबन्धन

54.3.1 प्रस्तावित कार्यवृत्त — चारामाह विकास कार्यवृत्त

54.3.2 उपचार श्रेणी — रोमलखोड़ा

54.3.3 उपचाराश विवरण

उपचाराश क	निर्धारित वर्ष	क्षेत्रफल
I-P	2021-22	30.68
II	2022-23	45.70
III	2023-24	38.08
IV	2024-25	34.50
V	2025-26	62.55
VI	2026-27	53.77
VII	2027-28	65.51
VIII	2028-29	49.52
IX	2029-30	49.84
X	2030-31	53.60
54.3.4	प्रस्तावित Sample/research/ preservation plots	

प्रपत्र — 5

55. अकाष्ठ वनोपज का विवरण मानचित्र सहित

क	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	प्रकार (Habit)	उपयोगी भाग	कक्ष का भाग जहां पाया जाता है	विस्तार क्षेत्र (हे.)	प्राक्कलित मात्रा हे. प्रति वर्ष	सबहनीय रूप से विदोहन की जा सकने वाली संभावित मात्रा (हे./वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—

प्रपत्र — 6

56 कार्य आयोजना अवधि में पातन हेतु चिन्हांकित वृक्ष — निरंक

वर्ष	उपचाराश क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.)	प्रजाति	छाती गोलाई श्रेणी (से.मी.) (संख्या)									
				21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-120	120 से अधिक	योग
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

प्रपत्र — 7

57 कक्ष से प्राप्त काष्ठ का विवरण — निरंक

वर्ष	उपचाराश क्रमांक	पातन क्षेत्रफल (हे.)	प्रजाति सागौन/साल/मिश्रित	इमारती काष्ठ घ.मी.	जलाऊ (चट्टे/घ.मी.)
—	—	—	—	—	—

58. कल से प्राप्त वारा का विवरण - निरंक

वर्ष	उपचार श्रेणी	उपचार का क्रमांक	पातन क्षेत्रफल (हे.)	वारा गोटन		
				व्यापारिक	आध्यात्मिक	योग
-	-	-	-	-	-	-

प्रपत्र - 8

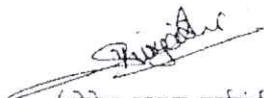
59. अकाष्ठ वनोपज की प्राप्ति - निरंक

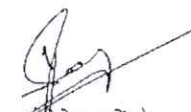
वर्ष	प्रजाति		विदोहन का समय	वार्षिक प्राप्त अनुमानित मात्रा (कि.ग्रा.)					
	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम		कद/मूल	फूल	पत्ती	फल/बीज	गोद	पचाय
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

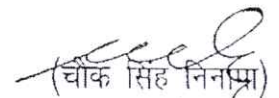
प्रपत्र - 9

60. विगत एवं प्रचलित कार्य आयोजना की महत्वपूर्ण घटनाएँ

वर्ष	घटनाएं	वन पर प्रभाव
-	-	-
61.	संनिधि मानचित्रकर्ता	
61.1	हस्ताक्षर	
61.2	नाम	योगेश चौहान
61.3	पद	वनक्षेत्रपाल
61.4	दिनांक	26,27-12-2018


(योगेश कुमार सूर्यवंशी)
वनरक्षक
कार्य आयोजना उज्जैन


(योगेश सौप)
वनरक्षक
कार्य आयोजना उज्जैन


(चौक सिंह नैनप्पा)
- भाव से -
मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना उज्जैन